१रु. कोर्ट फी COURT FEE Re.1 भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

3/
2/1/18

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय

निवाई जिला टोंक राज.

बद्रीनारायण बनाम रामवतार

दावा बाबत इस्तकरार हक घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजीनामा

ान

राजीनामा निम्न प्रकार पेश है:—

यह कि वादी व प्रतिवादीगण के पास ग्राम खाजपुरा में कुल 46 बीघा 08 बिस्वा जमीन है जिसको दोनो पक्षो ने मिलकर राजीनामा की रूह से 1/2–1/2 हिस्सा कब्जे अनुसार करने के लिये दोनो पक्ष सहमत है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण इस समय अपनी अपनी जमीन पर जिस तरह काबिज है उसी तरह रहेगे एवं जमीन का हिस्सा दोनो का बराबर करने के लिये वादी खाते में से जमीन खसरा नम्बर 496 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 330 रकबा 6 2 बीघा 05 2 बिस्वा में वादी का हिस्ससा 1/3 सम्पूर्ण प्रतिवादी किशनलाल के हक में वादी द्वारा दिया गया खसरा नम्बर 359 रकबा 7 बीघा 10

किसनलाल

बिस्वा, खसरा नम्बर 494 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा में वादी का हिस्सा 1/12 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 398 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा में वादी का हिस्सा 1/2 हिस्सा कुल 11 बिस्वा सम्पूर्ण इस प्रकार कुल 5 बीघा 09 बिस्वा वादी प्रतिवादी को जमीन दे दी व सम्भला दी है। उक्त आराजी वादी प्रतिवादी के हक में उक्त वाद से या रजिस्ट्री से हस्तान्तरित रिकार्ड में कर देगा।

3 यह कि प्रतिवादीगण किशनलाल पुत्र तुलसा जाति गुर्जर निवासी खाजपुरा के हक में उसकी बहिने गौरा व स्याणी ने हकत्याग कर दिया है व प्रतिवादी की बहिने मन्नी का देहान्त हो गया और इसलिये उसके पुत्र सत्यनारायण, सीताराम पुत्र मन्नी व श्रवण पुत्री मन्नी पुत्रान हरजीराम गुर्जर ने प्रतिवादी के हक में हकत्याग कर दिया है दावा चलने के कारण उसका नामांतकरण नही भरा परन्तु वादग्रस्त भूमि में कब्जा व मालिकाना हक प्रतिवादी किशनलाल को है इसलिये इस प्रकरण में किशनलाल की ओर से राजीनामा किया जा रहा है।

4 यह कि प्रतिवादी किशनलाल के रिकार्ड राजस्व खातेदारी जमीन खसरा नम्बर 466 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 497/2 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में से 3 बीघा 16 बिस्वा वाके

किसनलाल

Scanned by CamScanner

ग्राम खाजपुरा में स्थित आराजी में से कुल 8 बीघा 08 बिस्वा जमीन को वादी बद्रीनारायण पुत्र गंगालाल गुर्जर निवासी खाजपुरा को सम्भला दिया है उक्त जमीन वादी उक्त वाद के अनुसार डिक्री करवावे या वादी के कहे अनुसार मैं प्रतिवादी विक्रय विलेख के जरिये हस्तान्तरित कर दूंगा।

5 यह कि उक्त राजीनामे के मुताबिक मौके पर वादी व प्रतिवादीगण जमीन को नापकर 1/2–1/2 हिस्सा कब्जे अनुसार कर लेगे यदि जमीन कम पडती है तो गर्मीयों में पटवारी से पैमाईश करवा लेगे। नपाने का खर्चा दोनो पक्ष अदा करेगे वर्तमान कब्जे की जमीन नापने के बाद यदि प्रतिवादी के कब्जे में जमीन कम रहती है तो बराबर करने के लिहाज से खसरा नम्बर 497/2 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा में से उस जमीन की भरपाई की जावेगी और जब कही भी जमीन दबी हुई है उस जमीन को दोनो पक्ष मिलकर निकलवाये और इसके बाद प्रतिवादी खसरा नम्बर 497/2 का कब्जा छोड देगे।

6 यह कि उक्त लिखावट हम दोनो पक्षो ने राजीखुशी होश हवास बिना नशे पते के लिख दी है जो सनद रहे समय पर काम आवे।

दिनांक 2/1/18

ह. वादी

ह. प्रतिवादी

किसनलाल

Scanned by CamScanner